भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 303
जिसका उत्तर 27 नवंबर, 2024 को दिया जाना है ।
6 अग्रहायण, 1946 (शक)

एआई के दुरुपयोग से निपटने के लिए विधान

303. श्री ए. राजा:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फर्जी समाचार, अफवाहें और आम जनता के मन में भ्रम उत्पन्न करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते और खुलेआम दुरुपयोग से निपटने के लिए कोई विधान लाने पर विचार कर रही है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस मुद्दे से निपटने के लिए अन्य क्या उपाए किए जाने का विचार है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट फर्जी खबरों सहित किसी भी गैरकानूनी सूचना सामग्री से युक्त न हो। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत इंटरनेट को गैरकानूनी सामग्री से बचाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया है।

तदनुसार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") अधिसूचित किए हैं।

आईटी नियम, 2021 में सोशल मीडिया मध्यस्थों और प्लेटफॉर्म सहित मध्यस्थों पर गैरकानूनी जानकारी को हटाने की दिशा में तेजी से कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट कानूनी दायित्व तय किए गए हैं। इस प्रयोजन से , गैरकानूनी जानकारी में निषिद्ध गलत सूचना, स्पष्ट रूप से झूठी जानकारी, असत्य या भ्रामक प्रकृति की जानकारी शामिल है।

किसी मध्यस्थ से अपेक्षित है कि वह आईटी नियम, 2021 के नियम 3(2) के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर आईटी नियम, 2021 के नियम 3(1)(ख) में उल्लिखित श्रेणियों के अंतर्गत एआई का उपयोग करके उत्पन्न जानकारी सहित किसी भी जानकारी को शीघ्रता से हटाए।

मध्यस्थों द्वारा आईटी नियम, 2021 में यथाप्रस्तावित कानूनी दायित्वों का पालन करने में विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत अपनी सेफ़ हार्बर सुरक्षा खो देंगे और किसी भी मौजूदा कानून के तहत यथाप्रस्तावित परिणामी कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे।

इसके अलावा, साइबरस्पेस में गलत सूचना, एआई द्वारा संचालित डीपफेक जैसे उभरकर सामने आने वाले खतरों से बचाने के लिए, एमईआईटीवाई ने उद्योग के हितधारकों/सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ कई परामर्श किए हैं और दिनांक 26.12.2023 को परामर्शी निदेश जारी किए हैं और बाद में दिनांक 15.03.2024 को एक और परामर्शी निदेश जारी किया गया, जिसके माध्यम से मध्यस्थों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) के नियम 3(1)(ख) के तहत उल्लिखित उनकी अपेक्षित सावधानियों संबंधी दायित्वों के बारे में याद दिलाया गया और दुर्भावनापूर्ण 'सिंथेटिक मीडिया' और 'डीपफेक' सहित गैरकानूनी सामग्री से बचने की सलाह दी गई।

****